भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

File No. Tour/Programme/VC/11/2017/RU-III

6th floor, B Wing Loknayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi-110003
Dated: 18.08.2017

To,

1. The Chief Secretary,
   Government of Madhya Pradesh,
   Bhopal (Madhya Pradesh)

2. Secretary,
   Revenue Department,
   Govt. of Madhya Pradesh,
   Mantralaya, Vallabh Bhawan,
   Bhopal -462004 (Madhya Pradesh)

3. The Director General of Police,
   Police Headquarters,
   Swami Dayanand Nagar,
   Jahangirabad, City-Bhopal
   (Madhya Pradesh)

4. The Commissioner cum Secretary,
   SC & ST Welfare Department,
   Govt. of Madhya Pradesh,
   Bhopal, (Madhya Pradesh)

5. Collector,
   District-Bhopal,
   (Madhya Pradesh)

Sub: Tour Report of Miss Anusuiya Uikey, Hon'ble Vice-Chairperson, National Commission for Scheduled Tribes (NCST) to visit Districts-Bhopal, Chhindwara, Madhya Pradesh State from 16.06.2017 to 25.06.2017.

Sir/Madam,

I am directed to enclose herewith a copy of tour report of Miss Anusuiya Uikey, Hon'ble Vice-Chairperson, NCST to visit Districts-Bhopal, Chhindwara, Madhya Pradesh State from 16.06.2017 to 25.06.2017 for information and necessary action.

5754-59
28/8/17

Yours faithfully,

(S.P. Meena)
Assistant Director

Copy for information and necessary action to:

1. The Assistant Director, National Commission for Scheduled Tribes, Regional Office Bhopal, Room No.309, Nirman Sadan, CGO Building, 52-A, Area Hills, Bhopal-462011(Madhya Pradesh)

2. NIC, NCST uploaded on the web site.

Tel.:011-24657271, 011-24615012, 011-24624714, Fax: 011-24604689, 011-24624191

प्रवास प्रतिवेदन

-:: TOUR - REPORT DATED 16/06/2017 TO 25/06/2017 ::-

{DISTRICT CHHINDWARA & BHOPAL M. P.} जिला छिन्दवाडा एवं भोपाल मध्यप्रदेश म. प्र.

सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार

सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार द्वारा आयोग मुख्यालय के बेतार संदेश संख्या TP/VC/NCST/2017/17&17A दिनॉक 15/06/2017 के अनुसार दिनॉक 16 जून 2017 से 25 जून 2017 तक जिला छिन्दवाडा एवं भोपाल (मध्यप्रदेश) का प्रवास किया गया।

आयोग मुख्यालय द्वारा प्रवास की विधिवत सूचना मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव, पुलिस महानिरीक्षक, संबंधित जिले के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक तथा आयोग के मध्यप्रदेश स्थित भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय के सहायक निदेशक एवं अन्य सर्व संबंधितों को सूचित किया गया।

प्रवास का विस्तृत तिथिवार विवरण इस प्रकार से है :–

दिनॉक 16/06/2017 - FRIDAY

1) दिनॉक 16 जून 2017 को रेलमार्ग से दिल्ली से प्रस्थान कर अगले दिन 17 जून 2017 प्रातः 8–00 पान्ढुर्ना आगमन।

दिनॉक 17/06/2017 - SATURDAY

2) स्थानीय विश्रामगृह पान्ढुर्ना में नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के जन प्रतिनिधियों से मुलाकात की गई। उनके द्वारा विभिन्न समस्याओं, गतिविधियों की जानकारी प्रदान करते हुए उनका निराकरण कराने का अनुरोध किया गया।

3) प्रमुख गणमान्य एवं बुद्धिजीवी उपस्थित हुए उनमें सर्वश्री दादा धर्माधिकारी, श्रीमती मीनाक्षी खुरसंगे, श्री रामराव कवरेती, पूर्व विधायक, श्री राजु रेवतकर, श्री महेन्द्र, श्री दशरथ संबारे, श्री यादवराव

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

डोबले, श्रीमती वैशाली महाले, श्री दिलीप चौधरी, श्री शेषराव वसूले, श्री श्याम धुर्वे, श्री आकाश सरसे, श्री उत्तम झॉ, श्री तरूण खोडे, श्रीमती विमलादेवी छंगाणी, गोंडवाना महासभा युवाफ्रन्ट पांढुर्ना के पदाधिकारी एवं सदस्यगण उपस्थित रहे।

4) विश्रामगृह पांढुर्ना में पत्रकारों से भी चर्चा की गई उनको राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भारत सरकार की कार्यप्रणाली गतिविधियों, आयोग द्वारा किये जाने वाले कार्यो का विस्तार से वर्णन प्रस्तुत किया गया।

5)

(पत्रकारों से एवं जन प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए सुश्री अनुसुईया उइके उपाध्यक्ष)

6) जन प्रतिनिधियों द्वारा अनुरोध किया गया कि आदिवासी विकास परियोजना का कार्यालय सौंसर में हैं जबकि पांढुर्ना में भी बड़ी संख्या में आदिवासी निवासरत हैं, इसलिये परियोजना का क्षेत्रीय कार्यालय पान्ढुर्ना में होना चाहिए।

7) जन प्रतिनिधियों ने अनुरोध किया कि पान्ढुर्ना के दूरस्थ ग्राम नांदनवाडी में टप्पा तहसील होनी चाहिए ताकि किसानों के राजस्व संबंधी कार्य शीघ्रता एवं सुगमता से सम्पन्न हो सके। साथ ही पान्ढुर्ना में लोक सेवा केन्द्र की भी आवश्यकता है उसे भी प्रारंभ किया जाना चाहिए।

8) इसी के साथ ही साथ नांदनवाडी में पोस्टमार्टम हाउस, लोकसेवा गांरटी केन्द्र, की भी स्थापना की जानी चाहिए।

9) यह भी अवगत कराया गया कि ग्राम नांदनवाडी में 30 बिस्तरोंवाला चिकित्सालय स्वीकृत कार्यरत है जिसमें केवल एक चिकित्सक पदस्थ है शेष चिकित्साकर्मी नहीं है जिसकी वजह से ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पा रही हैं। शेष चिकित्सकीय कर्मियों की शीघ्र नियुक्ति किये जाने की आवश्यकता है।

10) भारत सरकार की नीति के अनुसार निजी विद्यालयों की मान्यता के प्रस्ताव लंवित हैं जिसकी वजह से आनलाईन प्रवेश के पोर्टल में क्षेत्र के साथ ही साथ जिले के भी विद्यालयों में प्रवेश नहीं हो पा रहा है जिसकी वजह से छात्रों के समक्ष शालाओं में प्रवेश की समस्या उत्पन्न हो गई है। मेरे द्वारा मानव संशाधन विकास मंत्री भारत सरकार के कार्यालयीन सहयोगियों से चर्चा कर समस्या का निराकरण कराने का अनुरोध किया गया। उनहोंने अवगत कराया कि यह प्रकिया चल रही है और

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

दो चार दिवस में प्रवेश के लिये निर्देश जारी हो जायेगें। बाद में मेरे द्वारा पृथक से मंत्री महोदय भारत सरकार को पत्र भी लिखा गया है।

11) पत्रकारों एवं जन प्रतिनिधियों द्वारा ध्यानाकर्षित किया गया कि पूर्व में सांसद निधि से दिये गये शववाहन का उपयोग नहीं कर उसे खड़े–खडे खराब होने के लिये छोड़ दिया गया है। वहीं दूसरी ओर शवों को दूरस्थ क्षेत्र में ले जाने के लिये ट्रेक्टर जैसे खुले एवं असुविधा जनक वाहन का उपयोग करना पडता है। इसका संचालन कार्य विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी, पांढुर्ना को रोगी कल्याण समिति के माध्यम से संचालन हेतु सौंपा गया था, किनतु उनके द्वारा इसका संचालन नहीं किया जा रहा है।

12)

आयोग उपाध्यक्ष ने शववाहन संचालन में लापरवाही को लेकर कलेक्टर को कार्रवाई के लिए लिखा पत्र

शव वाहन के उपयोग नहीं होने पर बीएमओ को किया तलब

पांढुर्ना। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की उपाध्यक्ष सुश्री अनुसुईया उइके द्वारा उनके राज्यसभा के संसदीय कार्यकाल के दौरान सरकारी अस्पताल को प्रदान किए गए शव वाहन के उपयोग नहीं होने के चलते उन्होंने कलेक्टर के माध्यम से बीएमओ को तलब किया है। सांसद निधि से प्रदान किए गए इस शव वाहन के संचालन में अब तक लापरवाही बरतने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की भी बात कही है। इस आशय का पत्र कलेक्टर को सुश्री अनुसुईया उइके के राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से प्राप्त हुआ, जिस पर उन्होंने अधिकारियों से जवाब मांगा है।

पत्र में सुश्री अनुसुईया उइके ने उल्लेखित किया है कि मेरे पांढुर्ना प्रवास के दौरान जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों ने अवगत कराया था कि सरकारी अस्पताल में शव वाहन खड़े-खड़े खराब हो रहा है। इसके उपयोग के बजाय शवों को ले जाने के लिए ट्रैक्टर का उपयोग होता है। नागरिकों की मांग के अनुसार सरकारी अस्पताल को प्रदत्त इस शववाहन को रोकस के माध्यम से चलाना था, पर इसके संचालन पर ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने पत्र में बताया है कि नगर पालिका द्वारा वाहन के संचालन पर सहमति जताते हुए सरकारी अस्पताल प्रबंधन से वाहन संचालन के लिए प्रदान करने की पेशकश भी की, परंतु इस पर भी ध्यान नहीं दिया गया।

शोभा की सुपारी बना शव वाहन

लोकमत समाचार

चार साल से क्यों सड़ रहा शव वाहन?

पांढुर्ना। 29 जून। लोस सेवा

लोकमत समाचार इम्पेक्ट

शहर के सरकारी अस्पताल में विगत चार साल से पड़ा शव वाहन का आज तक उपयोग क्यों नहीं किया गया? इसका जवाब अब पांढुर्ना बीएमओ को कलेक्टर को देना होगा.

दरअसल राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की उपाध्यक्ष अनुसया उइके ने 27 जून को पत्र क्रमांक 91 छिंदवाड़ा कलेक्टर जे.के. जैन को लिखकर कहा कि राज्यसभा सांसद रहते हुए पांढुर्णा सरकारी अस्पताल को टाटा 407 वाहन इस उद्देश्य से दिया था कि किसी भी व्यक्ति या महिलाओं का शव लाने और ले जाने के लिए उसका उपयोग किया जा सके.

लेकिन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से यह वाहन जब से दिया गया, तब से उसी जगह पर खड़ा है. हालांकि रोगी कल्याण समिति द्वारा इस वाहन का संचालन नगर पालिका प्रशासन को देने का निर्णय लिया गया लेकिन यह निर्णय कागजों में दफन हो गया, जिसका जवाब बीएमओ से मांगा गया है.

लोस ने उठाया था मुद्दा : विगत चार साल में शव वाहन का उपयोग नहीं होने और वाहन कंडम होकर उसके हर पुर्जे खराब होने को लेकर 17 जून के लोकमत समाचार के अंक में '4 साल से खड़े खड़े जिंदा लाश बन गया शव वाहन' शीर्षक के साथ खबर प्रकाशित की गई थी.

Apna Madhyanchal
Page No. 4 Jun 30, 2017
Powered by: erelego.com

13) मेरे द्वारा पृथक से इस संबंध में कलेक्टर छिन्दवाड़ा को पत्राचार किया गया है जिसमें दोषी व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही एवं जिस अधिकारी की लापरवाही की वजह से यह वाहन खराब हो रहा है उससे वाहन की वसूली करने के लिये सूचित किया गया।

14) मौके पर ही नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा वाहन संचालन के लिये सहमति प्रदान की गई। पत्र में इस वाहन को नगर पालिका परिषद को सौंपने के लिये भी अनुशंसा की गई है।

15) निर्धारित कार्यकम अनुसार गोंडवाना महासभा युवा फंट पांढुर्ना द्वारा संत रविदास भवन मजदूर चौक में आयोजित कार्यकम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इस अवसर जन जाति जन प्रतिनिधि श्री रामराव कवडेती, श्री श्याम धुर्वे, श्री श्यामराव घोडे, श्री कमलेश धुर्वे, श्री मनीश करमरकर, श्री संजय परतेती, श्री ईश्वरसिंह कवडेती, श्री प्रहलाद सिंह आदि प्रमुख व्यक्तियों के साथ ही साथ आम नागरिक उपस्थित रहे।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

16)

(आदरणीय श्री बिरसामुंडा जी की प्रतिमा पर पूजन करते हुए सुश्री अनुसुईया उइके)

17) कार्यक्रम में जनजाति वर्ग के व्यक्तियों, संगठन के पदाधिकारियों द्वारा अपने विचार व्यक्त करते हुए आदिवासी समाज की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराते हुए उनका समाधान कराने का अनुरोध किया गया। आदिवासियों द्वारा प्रमुख रूप से आदिवासी मंगल भवन निर्मित कराने की मांग की गई ताकि वे उसमें अपने सॉस्कृतिक कार्यक्रमों का संचालन कर सकें।

18)

(कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सुश्री अनुसुईया उइके)

19) मेरे द्वारा अपने उदबोधन में सर्वप्रथम आयोग के बारे में अनुसूचित जाति वर्ग के उपस्थित जन समूह को अवगत कराया गया। मैंने यह महसूस किया कि आयोग के बारे में ज्यादातर अनुसूचित जनजाति वर्ग के ग्रामीण व्यक्तियों को जानकारी नहीं हैं। मैंने डॉ अंबेडकर जी द्वारा आदिवासियों के लिये गये योगदान से उन्हें अवगत कराया। उनके लिये आरक्षण नीति अंतर्गत प्रावधान, उनकी सुरक्षा के लिये कानून एवं प्रावधानों की जानकारी, शासकीय योजनाओं में आरक्षण के प्रावधान इत्यादि से अवगत कराते हुए आदिवासियों का आहवान किया कि वे एकजुट होकर अपने अधिकारों को संवैधानिक

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

व्यवस्था के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से प्राप्त करें। देशहित समाज हित में दलीय राजनीति से ऊपर उठकर एकजुट होकर कार्य करने पर ही उन्हें उनके अधिकार प्राप्त हो सकते हैं।

20) इस अवसर पर देशभक्त वीरांगना रानी दुर्गावती के देश, समाज के लिये किये गये बलिदान को भी स्मरण किया गया। उनके जीवन चरित्र का वर्णन करते हुए उन्हें श्रद्धांजली अर्पित की गई।

21) इस अवसर गोंडी भाषा में लिखित एक कैलेण्डर एवं पुस्तक का विमोचन भी किया गया जिसका उद्देश्य युवकों एवं नवीन पीढ़ी के आदिवासियों को उनकी प्राचीन भाषा एवं सॅस्कृति से अवगत कराना था। कैलेण्डर एवं पुस्तक के लेखक का यह सराहनीय प्रयास रहा है।

22) शासकीय आदिवासी बालक छात्रावास पांढुर्ना का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। चूँकि दोपहर में सारे बच्चे स्कूल गये हुए थे इसलिये बच्चें मिले छात्रावास में व्यवस्था सुचारू पाई गई। तदुपरांत छिन्दवाडा के लिये प्रस्थान।

23)

(छात्रावास का निरीक्षण के अवसर पर सुश्री अनुसुईया उइके)

दिनॉक 18/06/2017 - SUNDAY

24) शासकीय अवकाश। निज निवास स्थल पर आम नागरिकों से मुलाकात की गई उनकी विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुनकर यथासंभव जो स्थानीय स्तर की थी उन्हें संबंधित अधिकारियों को भेजा गया और समाधान का अनुरोध किया गया। जो आवेदन शिकायत / आयोग में प्रकरण दर्ज करने लायक पाए गये उन्हें आयोग में प्रथक से प्रस्तुत किया गया है, जिनपर आयोग स्तर से कार्यवाही की जाना प्रस्तावित किया गया है।

दिनॉक 19 & 20 /06/2017 - MONDAY -TUESDAY

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

25) निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार स्थानीय विश्राम भवन में अनुसूचित जन जाति के संगठनों, आम नागरिकों से मुलाकात कर उनके विभिन्न मुद्दों प्रकरणों को सुनकर आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधितों को यथा योग्य प्रकरण / आवेदनों के अनुसार पत्राचार किया गया।

26) निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार स्थानीय विश्राम भवन में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास छिन्दवाड़ा के साथ आयोग से कलेक्टर कार्यालय एवं अन्य विभागों तथा आदिवासी विकास विभाग को भेजे गये पत्रों / प्रकरणों की प्रगति / वस्तुस्थिति पर चर्चा की गई। प्रत्येक प्रकरण में आवश्यक निर्देश जारी कर शीघ्र समाधान / निराकरण करने के निर्देश दिये गये।

27)

(स्थानीय विश्राम भवन में नागरिकों एवं जनप्रतिनिधियों से ज्ञापन/प्रकरण प्राप्त करते हुए सुश्री अनुसुईया उइके)

28) धनकशा संघर्ष समिति तहसील परासिया जिला छिन्दवाडा द्वारा सभी विस्थापितों के साथ एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार धनकशा भूमिगत कोयला खदान तहसील परासिया एवं जिला छिन्दवाड़ा में आदिवासियों की अधिग्रहित भूमि का मुआवजा नहीं मिला है। अतएव उनकी मांग है कि कोयला कम्पनी द्वारा कृषि भूमि अधिग्रहण नीति अनुसार भूमि स्वामियों को रोजगार एवं मुआवजा दिलाया जावे।

29) प्रकरण का संक्षित विवरण इस प्रकार है ग्राम पंचायत बांकी के अंतर्गत वेस्टर्न कोल फील्डस लिमिटेड, जो कि कोल इंडिया की कम्पनी है, के द्वारा तहसील परासिया जिला छिन्दवाडा के अंतर्गत धनकशा भूमिगत कोयला खदान प्रारंभ की जा रही है जिसमें ग्राम नेहरिया, आमाकोल, पाईली, बॉकी, के 100 आदिवासी किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया गया है किन्तु मुआवजा एवं रोजगार प्राप्त नहीं हुआ है।

30) इस आवेदन का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है :–

A. इस परियोजना का भूमिपूजन तत्कालीन कोयला मंत्री भारत सरकार द्वारा दिनॉक 22 फरवरी 2009 को कार्यस्थल पर किया गया है।

B. भारत सरकार, कोयला मंत्रालय की भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना भारत के राजपत्र असाधारण, भाग दो, खण्ड तीन, उपखण्ड दो में दिनॉक 28 फरवरी 2013 को प्रकाशित की जा चुकी है।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

C. अधिग्रहण सूचना प्रकाशित होने के उपरांत भूमि के स्वामी का अब उक्त भूमि पर स्वामित्व नहीं बचा है, वह उसका उपयोग नहीं कर सकता है। जिस भूमि का अधिग्रहण किया गया है वह भूमि अनुसूचित जनजाति के गरीब व्यक्तियों की है, जिसपर वे वर्षो से काश्त करते हुए अपना जीवन यापन कर रहे थे।

D. वर्तमान तक भूमि के मालिकों को कोल इंडिया की भूमि अधिग्रहण नीति के तहत मुआवजा एवं रोजगार प्रदान नहीं किया गया है जिसकी वजह से सभी भूमिस्वामी भूमिहीन होकर अपने जीवन यापन के लिये मोहताज हो गये हैं।

E. भूमि के स्वामियों को आज तक कोल इंडिया द्वारा मुआवजा प्रदान नहीं किया गया है, जबकि भूमि का अधिग्रहण करने को करीब 8 वर्ष का समय व्यतीत हो गया है।

F. यह भी उल्लेखित है कि इस परियोजना के बाद जो परियोजनाएँ कोल इंडिया द्वारा प्रारंभ की गई है उनमें भूमि स्वामियों को रोजगार एवं मुआवजा दिया जा चुका है।

G. इस परियोजना के लिये करीब सौ से अधिक आदिवासी व्यक्तियों की भूमि का अधिग्रहण किया गया है और मुआवजा तथा रोजगार अभी तक नहीं दिया गया है।

H. लंबा समय बीत जाने के उपरांत आदिवासी किसानों द्वारा एक संगठन धनकशा संघर्ष समिति गठित कर मुआवजा के लिये प्रयास किये गये किन्तु उनकी मांग अभी तक पूर्ण नहीं हो पाई है।

I. पिछले वर्ष समिति द्वारा भूख हड़ताल प्रारंभ करने पर कोल इंडिया नागपुर परासिया के अधिकारियों द्वारा समिति को लिखित में आश्वासन दिया गया था कि तीन माह में सभी औपचारिकताओं का समाधान कर नौकरी एवं मुआवजा दे दिया जावेगा किन्तु एक वर्ष उपरांत भी कुछ प्रगति नहीं हुई है।

J. इस संबंध में पूर्व में कोल इंडिया नागपुर एवं परासिया को एक पत्र लिखा गया था जिसका कोई जबाव आज तक कोल इंडिया नागपुर परासिया द्वारा नहीं दिया गया है।

किसानों की प्रमुख मांग

i. जिन आदिवासी किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया गया है उन्हें तुरंत नियमानुसार मुआवजा प्रदान किया जावे।

ii. कृषि भूमि कोल इंडिया लिमिटेड के पुर्नवास एवं पुर्नस्थापना नीति 2012 के नियम 8.1 की पात्रता एवं मुआवजा के अनुसार बिन्दु (ख) नियोजन का प्रावधान के उपनियम 1 के अनुसार अधिकतम नियोजन की कुल संख्या जो भू विस्थापितों को दी जा सकती है वह अधिग्रहण की गई कुल भूमि में से 2 से भाग देकर तय की जाये।

iii. इस भूमि के अधिग्रहण तथा मुआवजा वितरण में अनावश्यक हुए विलंव लगभग 8 वर्ष से अधिक के लिये दोषी अधिकाारियों के विरूद्ध कार्यवाही एवं पीड़ित किसानों को उसका मुआवजा दिया जावे।

31) श्री राकेश इवनाती एवं अन्य ग्रामवासी केकड़ा पोष्ट बड़ेला तहसील अमरवाड़ा जिला छिन्दवाडा द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि उनकी भूमि बॉध के डूब क्षेत्र में आ गई है जिसका मुआवजा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, शीघ्र दिलाया जावे। इस प्रकरण का को आयोग में प्रस्तुत कर पृथक से कार्यवाही की अनुशंसा की गई है।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

32) श्री रामकरण गुर्वे एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा अवगत कराया कि जिले में निवासरत गोंडेरा अहीर (गोंड गोवारी) समुदाय के लोगों का राजस्व अभिलेख में त्रुटि से अहीर जाति दर्ज होने की वजह से अनुसूचित जनजाति के प्रमाण – पत्र सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी नहीं करने की वजह से पात्र आदिवासियों को लाभ नहीं मिल पा रहा है।

33) श्री रामकरण धुर्वे द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में उन्होंने उल्लेख किया है कि छिन्दवाड़ा जिले में निवासरत गोंड, गोवारी समुदाय के व्यक्तियों को स्थानीय भाषा में गुडेंरा अहीर कहा जाता है। कुछ समय पटवारियों द्वारा गलती से अहीर जाति दर्ज कर दी गई थी जिसकी वजह से उन्हें अनुसूचित जनजाति का प्रमाणपत्र नहीं मिल पा रहा है।

34) आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास परिषद, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा अपने पत्र क्रमांक 1922 भोपाल दिनॉक 7/9/15 में स्पष्ट किया है कि गोंडेरा अहीर जाति नाम से जाने, जाने वाले व्यक्तियों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाणपत्र जारी करने की अनुशंसा की गई है।

35) उल्लेखित है कि अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जो कि जाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिये अधिकृत हैं,के द्वारा स्पष्ट निर्देर्शो के अभाव में जाति प्रमाणपत्र जारी नहीं किये जा रहे हैं।

36) आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर मुख्य सचिव मध्यप्रदेश को पत्र लिखा गया है। उपयुक्त होगा कि आयोग स्तर से भी इस संबंध में समुचित कार्यवाही की जावे।

37) श्री सहदेव सिंह मरकाम, ग्राम देवरी पोष्ट टिंगीपुर तहसील बिरसा जिला बालाघाट, का आवेदन विज्ञापन के अनुसार आरक्षित वर्ग में नियुक्ति के संबंध में, श्री हीरालाल सिंह एवं समस्त विस्थापित ग्रामवासी सहिरा व चाफल तहसील कुसमी जिला सीधी का आवेदन बिना सूचना के मशीन से आवास गिराने के संबंध में, श्री दीपचन्द नन्दौरा थाना लखनवाड़ा जिला सिवनी का प्रकरण राजस्व, पुलिस, पंजीयक कार्यालय द्वारा प्रार्थी की जमीन हड़पने के संबंध में, श्री मोरेश्वर तुमराम निवासी पॉलिटेकनिक कालेज के पीछे जिला तहसील सिवनी का आवेदन को झूठा पुलिस प्रकरण में फॅसाने के संबंध में, प्राप्त हुए थे जिन्हें आयोग में प्रस्तुत कर आवश्यक कार्यवाही के लिये निर्देशित किया गया है।

38) श्री संदीप सर्राठे निवासी भॉण्डखापा, तहसील मोहखेड़ जिला छिन्दवाडा का आवेदन एवं दस्तावेज सरपंच द्वारा शासकीय राशि के दुरूपयोग एवं गबन के संबंध में प्राप्त हुआ है, जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सरपंच द्वारा आर्थिक अनियमितता एवं गबन किया गया है। इस प्रकरण को आयोग में प्रस्तुत कर कार्यवाही अपेक्षित की गई है।

39) श्री हरिप्रसाद सरयाम गाम बातरा पंचायत हर्राकछार छिन्दी तामिया जिला छिन्दवाड़ा एवं अन्य 15 व्यक्तियों द्वारा शाखा प्रबंधक, सेन्ट्रल म.प्र. ग्रामीण बैंक, छिन्दी तामिया जिला छिन्दवाडा द्वारा आदिवासी हितग्राही से रिश्वत की मांग करने के संबंध में शिकायती आवेदन प्रस्तुत किया गया।

40) आवेदकों ने अपने आवेदन पत्र में अनुरोध किया है कि शाखा प्रबंधक सेन्ट्रल मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक द्वारा आवास मिशन का आवास बनाने हेतु लोन वितरण करने के लिये रूपये **10,000** की रिश्वत की

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

मांग की गई है तथा अन्य योजनाओं के प्रकरणों में भी सुदूर आदिवासी क्षेत्र के व्यक्तियों को परेशान, प्रताड़ित किया जा रहा है।

41) इस संबंध में मेरे द्वारा पूर्व में भी प्रबंध संचालक, सेन्ट्रल मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक, छिन्दवाड़ा पत्र लिखा गया था। महाप्रबंधक सेन्ट्रल मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक, छिन्दवाड़ा द्वारा आवेदक श्री हरिप्रसाद को पत्र कमांक 71 दिनॉक 18 अप्रैल 2017 से सूचित किया कि आपका आरोप निराधार है, आपके द्वारा सोसायटी का ऋण नहीं चुकाया गया है, और आप संदेहास्पद आवेदक हैं। आवेदक के दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि उसके द्वारा सोसायटी का ऋण जमा किया जा चुका है जिसका प्रमाण पत्र सोसायटी द्वारा आवेदक को दिया गया है तथा इस प्रमाणपत्र को आवेदक ने बैंक में प्रस्तुत कर दिया गया है।

42) उक्त पत्र से ऐसा प्रतीत होता है कि बैंक द्वारा रिश्वत की मांग करने की शिकायत को सामान्य रूप से लिया जाकर जॉच की खानापूर्ति कर दोषी प्रबंधक के पक्ष में कर दी गई है, जबकि क्षेत्र की जनता तथा आवेदक ने स्पष्ट आरोप लगाऍ है। उल्लेखित है कि आवेदक अनुसूचित जनजाति वर्ग का गरीब व्यक्ति हैं और बैंक प्रबंधक द्वारा उनसे दुर्व्यवहार करना कदापि उचित नहीं हो सकता है।

43) दिनॉक 20 जून 2017 को ग्राम के 15 से 20 गरीब आदिवासी व्यक्ति उपस्थित हुए थे और शिकायत की गई। इस पर महाप्रबंधक तथा प्रबंध संचालक से संपर्क कर प्रकरण में सहयोग के उद्देश्य से संपर्क करने का प्रयास किया गया किन्तु उनके द्वारा छह बार सन्देश भेजने पर भी संपर्क नहीं किया गया।

44) उसी दिन संध्या के समय सहायक आयुक्त के साथ सभी आवेदकों को बैंक मुख्यालय भेजा गया किन्तु बैंक के उक्ताधिकारियों ने अपेक्षित सहयोग नहीं किया और दुर्व्यवहार किया गया। बाद में सभी से चर्चा की गई और निराकरण का आश्वासन दिया गया किन्तु अपेक्षित कार्यवाही नहीं हुई है।

45) इस प्रकरण को आयोग में पंजीकृत कर सुनवाई करने के लिये पृथक से प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण का अनुशरण एवं आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

<u>दिनॉक 21 & 22 /06/2017 - WEDNESDAY -THURSDAY</u>

46) अंतराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से सम्पूर्ण भारत देश ही नही अपितु सम्पूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय पुलिस मैदान में जिला स्तरीय सामूहिग योग का कार्यकम आयोजित किया गया। इस कार्यकम में, मैं उपस्थित हुई एवं निर्धारित योग कार्यकम अनुसार योग कियाऍ की गई।

47) इस अवसर पर जिले के प्रभारी मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन, कृषि विकास एवं कल्याण मंत्री मध्यप्रदेश शासन, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, स्थानीय विधायक श्री चौधरी चन्द्रभान सिंह जी, महापौर

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

श्रीमती कांता सदारंग, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कांता ठाकुर, अन्य गणमान्य नागरिक एवं स्कूली छात्र छात्राएँ एवं पुलिसकर्मी उपस्थित हुए।

48) निर्धारित कार्यक्रम अनुसार इस समय मा. प्रधानमंत्री जी का इलेक्ट्रानिक बिग डिस्प्ले बोर्ड टीवी के माध्यम से उदबोधन एवं मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री जी का उदबोधन भी बड़े पर्दे पर प्रसारित किया गया। यह कार्यक्रम जागरूकता के हिसाब से अत्यन्त ही सराहनीय रहा। इस अवसर पर करीब 5000 व्यक्तियों ने सामूहिक रूप से योगाभ्यास किया।

49) निवास पर आम नागरिकों एवं जनजाति समुदाय के प्रतिनिधियों एवं जन प्रतिनिधियों से मुलाकात की गई। प्राप्त आवेदन पत्रों का नियमानुसार पत्राचार एवं अन्य माध्यमों से निरकृत करने का प्रयास किया गया है।

दिनॉक 23/06/2017 - FRIDAY

50) संशोधित कार्यक्रम अनुसार प्रातः 7 बजे सड़क मार्ग से छिन्दवाड़ा से भोपाल के लिये प्रस्थान, अपरान्ह 1 बजे भोपाल आगमन भदभदा रोड चौक स्थित कार्यक्रम स्थल पर जनजातिय विकास मंच द्वारा आयोजित कार्यशाला में भाग लिया गया।

51) जनजातीय विकास परिषद, जनजातीय विकास मंच द्वारा दिनॉक 23 एवं 24 जून 2017 को दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मुख्यालय भवन भोपाल के सभागार में किया गया।

52) इस कार्यशाला में मध्यप्रान्त के 9 प्रदेशों के जनजातीय जन प्रतिनिधियों एवं जिला प्रमुखों, विधायकों, मंत्रियों द्वारा भाग लिया गया। इस अवसर पर इस में प्रमुखरूप से श्री अरूण जैन, श्री प्रफुल्ल अकान्त, श्री हर्ष जी चौहान, श्री नरेन्द्र मरावी, श्री प्रकाष काले, श्री जवाहरीलाल जी, श्री सुहास भगत जी, श्री लक्ष्मणराज सिंह जी, श्री प्रवीण जी, श्री कालुसिंह जी, श्री गिरीश जी, श्री जी एस डामोर, श्री गणेश जी, श्री वैभव श्री गजेन्द्र सिंह, इत्यादि प्रमुख जनजाति विचारक ने विचार प्रकट किये।

53) निर्वाचित एवं प्रशासकीय पदों पर कार्यरत जनजाति प्रतिनिधियों में श्री केदार कश्यप मंत्री छत्तीसगढ शासन, री अंतरसिंह आर्य, मंत्री मध्यप्रदेश, जनजातीय विकास मंच के विभिन्न पदाधिकारियों श्री योगीराज परते, श्री रामलाल रौतेल विधायक के साथ साथ करीब 100 प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।

54) इस कार्यशाला के समापन तथा अंतिम सत्र में श्री फग्गनसिंह जी कुलस्ते, केन्द्रीय मंत्री, भारत सरकार द्वारा अपने विचार प्रकट करते हुए सेमीनार का समापन किया गया।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

55)

(जनजातीय विकास परिषद, जनजातीय विकास मंच द्वारा आयोजित कार्यशाला के छायाचित्र)

56) कार्यशाला में पॉचवी अनुसूचि, पेसा कानून, आरक्षण (फर्जी जाति) युवा कोचिंग, जनजाति उद्यमिता, रायल ट्रायबल फोरम, कर्मचारी इत्यादि प्रमुख विषयों पर विचार विमर्श एवं मंथन का समाधान खोजने का प्रयास किया गया।

57) इस सम्मेलन में चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत मुख्य रूप से जो समस्याएँ स्पष्ट हुई हैं वे धर्मान्तरण, आदिवासियों को समेकित विकास, बदलते सामाजिक परिवेश में कुरीतियों से बचने, आदिवासियों की एकता, विकास और उनसे जुडे अन्य मसलों पर प्रमुख रूप से चर्चा कर उनके निराकरण पर विचार किया गया।

<u>दिनॉक 24/06/2017 - SATURDAY</u>

58) इस अवसर पर जनजातियों को उनके अधिकार प्रदान करने के लिये पेशा एक्ट, फर्जी जाति प्रमाण पत्र प्राप्त कर सुविधा लेने वाले गैर आदिवासियों, धनगढ एवं अन्य चार जातियों को सूचीबद्ध करने, आदिवासी कला, सॅस्कृति, भाषा, धर्म को जीवित रखने पर भी गहन चिंतन कर प्रतिनिधियों ने सुझाव दिया।

59) इस अवसर पर सुश्री उइके द्वारा अनुसूचित जनजाति आयोग की कार्यप्रणाली, के संबंध में विस्तार से जनजाति प्रतिनिधियों को जानकारियों से अवगत कराते हुए अपने अधिकारों का हनन होने पर आयोग के समक्ष अपनी बात रखने के संबंध में विधि प्रक्रिया से अवगत कराते हुए, कुछ प्रमुख समस्याएँ जो कि आयोग के समक्ष विचाराधीन है उनके माध्यम से उदाहरणों के साथ समझाईश दी गई।

60) मैंने उपस्थित प्रतिनिधियों को अवगत कराया कि आयोग में आदिवासियों की भूमि के गलत तरीके से बिक्रय, उनके नाम पर जमीन का क्रय कर दोहन करने, शासकीय सेवा में नियमानुसार लाभ नहीं देने, आदिवासियों को प्रताड़ित करने जैसे मामले विशेष रूप से प्राप्त होते हैं जिन पर आयोग समुचित कार्यवाही करता है।

61) साथ ही मैंने उपस्थित प्रतिनिधियों से अपील की, कि जनजाति समाज की गौरवशाली परंपराएँ रही हैं जिसकी वजह से भारत में सबसे सम्पन्न गोंडवाना राज्य स्थापित हुआ था जिसमें एक से बढकर

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

एक वीर, देशभक्त, स्वतंत्रता प्रेमी व्यक्तित्व रानी दुर्गावती, बिरसामुण्डा, शंकरशाह, रघुनाथ शाह, जैसे महान देशभक्त तथा अन्य सैकड़ों व्यक्ति हुए हैं जिनके नाम आज कहीं भी नहीं हैं, जिन्होंने मुगलों, अँग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्ति अपने राष्ट्र की रक्षा, अपने देश के लिये कुरबानियॉ दी हैं, अपना सर्वस्व देश पर अर्पित कर दिया था। हम ऐसे महान व्यक्तियों की हम संतान हैं। हमारी परंपराऍं, भाषा, धर्म, रीति रिवाज, अभूतपूर्व रहे हैं। हमें उनपर चलकर पुनः अपने आपको देशभक्त नागरिक साबित करना है।

62) इसी अवसर पर 24 जून 2017 को वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर उन्हें स्मरण किया गया और उनके जीवन चरित्र पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए उनके जीवन चरित्र से प्रेरणा प्राप्त कर अपना जीवन सार्थक करने के विचार व्यक्त किये गये।

63)

(जनजाति विकासमंत्र की दो दिवसीय कार्यशाला के अवसर पर सुश्री अनुसुईया उइके वाईस चेयरपरसन)

64) इस अवसर पर एक लघु फिल्म भी प्रदर्शित की गई जिसमें जनजाति समाज के प्रमुख राष्ट्रभक्त, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, श्री बिरसामुंडा जी, श्री शंकरशाह, श्री रघुनाथ शाह, रानी दुर्गावती, श्री दलपत शाह, एवं गोंडवाना साम्राज्य की गौरवशाली परंपरा एवं राज्य के संबंध में बिस्तार से उपस्थित प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया।

65) दिनॉक 23 एवं 24 जून 2017 को स्थानीय विश्राम भवन में भोपाल तथा आसपास के नागरिकों एवं अनुसूचित जनजाति संगठनों के प्रतिनिधियों सदस्यों से मुलाकात कर उनकी समस्याऍं, विचार सुने गये। आवश्यकता अनुसार उनके आवेदन / ज्ञापन संबंधित विभागों को प्रेषित किये गये। दर्ज होने लायक प्रकरणों को आयोग में प्रथम से प्रस्तुत किया गया।

66) संध्या के समय निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रात्रि 9–30 बजे राजधानी एक्सप्रेस से भोपाल से दिल्ली के लिये प्रस्थान किया गया।

प्रवास के प्रमुख तथ्य एवं अनुशंसाऍं

A. ग्राम नांदनवाडी में टप्पा तहसील एवं पान्धुर्ना में लोकसेवा केन्द्र प्रारंभ किया जाने की आवश्यकता है।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

B. ग्राम नांदनवाडी में 30 बिस्तरोंवाला चिकित्सालय स्वीकृत कार्यरत है जिसमें शेष चिकित्सकीय कर्मियों की शीघ्र नियुक्ति किये जाने की आवश्यकता है।

C. जिन भी स्थानों पर आदिवासियों द्वारा मंगल भवन निर्मित कराने की मांग की जाती है तो उन्हें यथाशीघ्र शासकीय भूमि आवंटित किये जाने के स्पष्ट आदेश प्रसारित किये जाने की आवश्यकता है।

D. सभी प्रमुख विभागों को निर्देश भारत सरकार की ओर से जारी किये जानें की आवश्यकता है कि जहॉ भी आदिवासियों की जमीन जनहित में अधिग्रहित की जाती है उन्हें मुआवजा एवं रोजगार तत्काल प्रदान किया जावे।

E. छिन्दवाडा एवं मध्यप्रदेश के अन्य जिलों में गोंडेरा अहीर (गोंड गोवारी) समुदाय के लोगों को प्रमाणपत्र जारी करने के लिये स्पष्ट निर्देश जारी किये जावें।

F. प्रबंध संचालक, सेन्ट्रल मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक, छिन्दवाड़ा द्वारा अपेक्षित सहयोग नहीं करने, आयोग के महत्व को न समझते हुए व्यवहार करना आपत्तिजनक है। इस संबंध में बैंकिग विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने की अनुशंसा की जाती है।

G. भोपाल में आदिवासी विकास मंच द्वारा आयोजित कार्यशाला में मुख्य रूप से जो समस्याऍं स्पष्ट हुई हैं वे आदिवासियों को बहलाकर उनका धर्मान्तरण, आदिवासियों को समेकित विकास, बदलते सामाजिक परिवेश में कुरीतियों से बचाने की आवश्यकता, आदिवासियों की एकजुट करने, आदिवासियों के समुकित विकास पर प्रमुख रूपसे कार्य करने की आवश्यकता प्रतिपादित की गई। इस संबंध में आयोग अथवा मंत्रालय स्तर से विचार कर समुचित कार्यवाही किया जाना उपयुक्त होगा।

H. इस अवसर पर विचार विमर्श में यह स्पष्ट हुआ कि जनजातियों के व्यक्तियों को उनके अधिकार प्रदान करने की आवश्यकता है। पेशा एक्ट तथा वनाधिकार अधिनियम के प्रभावी कियान्वयन तथा इनके संबंध में जागरूकता लाने की आवश्यकता है।

I. अनुसूचित जनजाति के फर्जी जाति प्रमाण पत्र प्राप्त कर सुविधा लेने वाले गैर आदिवासियों की भी पहचान कर उनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की आवश्यकता है।

J. धनगढ एवं अन्य चार जातियों को सूचीबद्ध करने, आदिवासी कला, सॅस्कृति, भाषा, धर्म को जीवित रखने पर भी गहन चिंतन कर प्रतिनिधियों ने सुझाव दिये गये इनपर आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

नई दिल्ली
दिनॉक 01 जुलाई 2017

सुश्री अनुसुईया उइके
उपाध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार नई दिल्ली

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

परिशिष्ठ अ